साक्ष्य एकत्रीकरण संबंधी उपयोगी सूचनाऐं

विषय सूची contents :-

- रक्त के घब्बे
- वीर्य के धब्बे
- बाल
- कॉच
- रंग रोगन
- ज्वलन शील द्रव्य
- आग्नेयास्त्रों से संबंधित साक्ष्य
- औंजार के चिन्ह
- नियंत्रित पदार्थ
- प्रश्नगत अभिलेख
- गुप्त अंगुलि चिन्ह

1. रक्त के धब्बे

- रक्त जो तरल है उसे किसी गेज पैड या अन्य कीटाणुयुक्त सूती कपड़े पर उठाया जाये तथा हवा में सूखने दें, कमरे के तापमान में। इसे यथा शीघ्र, ठंडा कर लें या जमा लें तथा यथा शीघ्र प्रयोगशाला पहुंचायें 48 घंटे से अधिक विलम्ब होने पर नमूना बेकार हो सकता है।
- यदि प्रयोगशाला के निकट हों तो धब्बे युक्त वस्तु तत्काल भेजें।
- यदि प्रयोगशाला भेजने में असमर्थ हों, या यदि वस्तु को डाक ही द्वारा भेजना हो तो पैंकिंग से पहले धब्बे को हवा में पूर्णतः सूख जाने दें।
- घब्बा युक्त सामग्री को गर्म करें या चटख धूप में न सुखायें। कपड़े तथा उसी तरह की अन्य वस्तुऐं ऐसे कमरे में लटकायें जहॉं पर्याप्त हवा का आगमन होता हो।
- यदि पूर्णतया सूखा न होतो, लेबल लगायें तथा कागज में लपेटें या भूरे कागज के थेले में रखें तथा डिब्बे को सील तथा लेबलिंग करें। एक

डिब्बे (Container) में मात्र एक वस्तु रखें। प्लास्टिक के डिब्बे का प्रयोग न करें।

सूखे रक्त के धब्बे (Dried Blood Stains)

- यदि कपड़े पर हो तो यथा संभव वस्तु को साफ कागज में लपेटें, उसे एक बाक्स या भूरे कागज में थैले में रखें तथा डिब्बे को सील व लेबिलिंग करें कपड़े से घब्बा हटाने का प्रयास न करें।
- छोटी ठोस वस्तु पर रक्त का सूखा धब्बा होतो लेबलिंग एवं पैकेजिंग के बाद सम्पूर्ण घब्बायुक्त वस्तु को प्रयोगशाला भेजें।
- बड़ी ठोस वस्तुओं पर रक्त का सूखा धब्बा होतो घब्बायुक्त क्षेत्र को साफ कागज से लपेटें तथा टेप से कोरें को नीचे की तरफ सील करें ताकि क्षति या नष्ट होने से बचाव हो। यदि सम्पूर्ण वस्तु को प्रयोगशाला भेजना अव्यवहारिक होतो धब्बे को एक साफ कागज के टुकड़े पर सुखालें जिसे मोड़ कर किसी लिफाफे में रखा जा सकता है। सबूत के लिफाफे को सीधे न खुरचें। वस्तु से रक्त खुरचने के लिये साफ धूले तथा सूखे चाकू या इसी प्रकार के किसी अन्य औंजार का प्रयोग करें। प्रत्येक धब्बे के खुरचने से पूर्व औंजार को धुल व सुखा लें। लिफाफे को सील व चिन्हित करें।
- सूखे धब्बे को मिलायें नहीं। प्रत्येक धब्बे को अलग-2 लिफाफे में रखें।
- किसी वस्तु से सूखे धब्बों को गीले कपड़े तथा कागज से धोनें/पोंछने का प्रयास न करें।

मानक रक्त प्रदर्श

- पैंथालाजिस्ट से प्रार्थना करें कि वह नमूना सीधे Heart से Yellow (ACD) या Purple Stopper ed Vacationer में प्रदर्श प्राप्त करें। ये BA tubes भिन्न होती है जिनमें grey stoppers होते हैं।
- यदि पीड़ित इस कदर घायल हो कि ट्रान्सफयूजन आवश्यक हो, तो प्राप्त करने का प्रयास करें या अस्पताल द्वारा एकत्रित प्री टांसफयूजन प्रदर्श को प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रकिया प्रारम्भ करें। ये प्रदर्श अस्पताल द्वारा लम्बे समय नहीं रखे जा सकते, अतः तत्पर्ता पूर्वक कार्य करना आवश्यक

है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि व्यक्ति द्वारा पहने गये कपड़े जिन पर रक्त के धब्बे लगे हों, हवा में सुखा व अवशीतन कर द्वितीयक मानक हेतु सेवा उपलब्ध हों।

- हैण्डलिंग तथा स्टोरेज ऑफ फिजियोलाजिकल फलुइड साक्ष्य
- People vs nation and Hitch से कृतज्ञतापूर्वक नामवान वस्तुओं के संरक्षण हेतु युक्तियुक्त तथा अच्छे विश्वास युक्त प्रयास, अथवा छुपे हुये गुप्त अंगुलि चिन्ह

धब्बे तथा नियंत्रण (Stain & Controls)

1 हवा में सुखाया

2 कागज में पैक

3 अवशीतन

अघुलनशील वस्तुओ यथा धातु या प्लास्टिक को संभालते समय विशेष ध्यान रखें। गलाने से हुए गाढ़ेपन से साक्ष्य खराब या नष्ट हो सकता है। ऐसी वस्तुओ को कम तापकम पर रखा जाये तथा शीघ्रताशीघ्र प्रयोगशाला भेजना चाहिये।

द्रव (सामान्य मानक)

रक्त

- रेफ्रीजेरेट– Yellow Stoppered Vacutaines में एकत्र मानक को फ्रीज न करें।
- शीघ्रताशीघ्र प्रयोगशाला भेजें।
- किसी Sterile guage pad या झाड़न पर एकत्र करें, हवा में सेखने दें तथा कागज में पैक करें। प्लास्टिक के डिब्बे का प्रयोग न करें।

2- Seminal Stains (वीर्य के धब्बे)

- वीर्य के धब्बे प्रायः (परन्तु सदैव नही) कपड़ों, कम्बलों (लिहाफ) तथा चादरों पर जाये जाते हैं। इन्हें हवा में सुखाने तथा कागज लिफाफे में लपेटें। इस साक्ष्य को कागज के थैले में पैक करें। पैकिंग के लिये कभी प्लास्टिक के थैले का प्रयोग न करें।
- लैंगिक अपराध के मामले में, पीड़ित की जॉच सदैव किसी फिजीशियन द्वारा की जाए। पीड़ित से साक्ष्य एकत्रित करने के लिये 'सैक्सुअल एसाल्ट एविडेन्स कलेक्शन किट 'का प्रयोग किया जाए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि एकत्र साक्ष्य का अधिकतम लाभ उठाने के लिये उक्त 'किट' के प्रयोग संबंधी निर्देशों का भलिभाँति पालन किया जाये।
- सभी वस्त्रों तथा जांघिये, पैंटीज या अन्य प्रदर्श को लेबलिंग करें तथा प्रत्येक को अलग-अलग पैक किया जाये।
- यदि वस्त्र में नमी हो तो पैक करने से पूर्व उसे पूर्णतया सुखा लें। यथा संभव वस्त्र को कम से कम छुऐं

3. बाल-

- किसी मानव बाल के परीक्षण से यह खुलासा हो सकता है कि यह किस व्यक्ति का है तथा शरीर के किस हिस्से से उत्पन्न है।
- मानव बाल के दो सैम्पलस के मिलान करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि वे एक ही व्यक्ति के हैं अथवा नहीं। प्रयोगशाला में यह परीक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में बाल मिले हैं व उनकी कितनी कैरेक्टेपिस्टिक ज्ञात हो पायी है।
- मौजूद सभी बात प्राप्त करें। यदि संभव होतो बालों को उठाने के लिए उंगलियों या छोटी चिमटियों का प्रयोग किया जाये। मुद्रित लिफाफे अथवा कागज में लपेटें, तत्पश्चात उसे बड़े लिफाफे में रखकर सील मुहर करें। बाहरी मुहर भुरा लिफाफे पर चिन्हीकरण करें।
- यदि बाल सूखे रक्त, या किसी धातु अथवा किसी कॉंच के टुकड़े से चिपका है तो उसे हटाने का प्रयास न करें उसे वैसे ही रहने दें। यदि वह वस्तु छोटी है तो उसे चिन्हित करें, लपेटें तथा लिफाफे में सर्व मोहर करें। यदि वस्तु बड़ी है तो जहाँ बाल चिपके हैं उस क्षेत्र को

कागज से भली भाँति लपेटें ताकि आवागमन में बाल गिरने से बचायें जा सकें।

- बलात्कार के मामलों में पीड़ित के यौनांग क्षेत्र में कंघी द्वारा बाल का नमूना प्राप्त करें। जानकारी शुदा बालों के नमूने पीड़ित, संदिग्ध या अन्य स्रोत से प्राप्त करें ताकि उनका मिलान गैर जानकारी शुदा नमूनों से किया जा सकें। बाल एकत्र करने की विधि यह है कि जिस व्यक्ति के बालों का नमूना प्राप्त करना है उसे एक बड़े साफ कागज पर सुखा लें तथा उसको हाथेां से मलें व रगडे़ जिससे लूज बाल कागज पर गिर जाये। यही क्रिया शरीर के अन्य भागों जहाँ से बाल प्राप्त करना है अपनायें। 50 से 100 बाल नमूने हेतु वांछित होते हैं। इसी प्रकार यौनांग क्षेत्र के 30 से 60 बाल वांछित होते हैं। बालों को काटें नहीं । यदि वह संदिग्ध है तो उनको शरीर के सभी भागों से बाल के नमूने लेना चाहिए।

4- Glass (काँच)

- सेंध लगाते समय खिड़कियाँ टूट जाती हैं, मारेा–भागो मामलों में गाड़ियों के हेड लाइट और शीशियाँ या अन्य वस्तुऐं टूट सकती हैं या संदिग्ध जो विभिन्न अपराधों में सम्मिलित हो सकता है के निजी सामानों बाडी पाटस पर निशान छोड़ सकती है।
- साक्ष्य के नमूने प्राप्त करना–
- संदिग्ध के जूते व कपड़ो या अन्य वस्तुऐं जिसपर काँच के टुकड़े अथवा निशान लगें हों को सावधानीपूर्वक कागज में लपेटकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजें।
- किसी हिट एन्ड रन मामले के मौके पर जितने भी काँच के टुक्ड़े मिलें उन्हें एकत्र करें। काँच की टुकड़ों की तलाश केवल आस पास के क्षेत्र तक सीमित न कर दूर तक तलाश करें क्यों कि किसी गाड़ी की हेड लाइट का शीशा मौके से काफी दूर भी मिल सकता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त शीशेां को अलग अलग कन्टेनर में रखें। सभी शीशों को एकत्र करें ताकि मिलान हेतु एक से अधिक प्रकार के नमूने मौजूद रहें। साथ ही यदि केवल कुछ ही प्रतिनिधि नमूने बचें हों तो ऐसे प्रत्येक टुकड़े

जिनसे हेड लाइट में लगे शीशे का भौतिक मिलान सम्भव है की अन्देखी की जा सकती है।

- कॉच के छोटे टुकड़ों को कागज की पुड़िया में लपेटें तत्पश्चात मुद्रित लिफाफे में सिक्के रखने वाले डिब्बे या फिल्म के डिब्बे में रखकर चिन्हीकरण तथा पूर्णतः सील मुहर करें।

मिलान के लिये मापदण्ड–

- खिड़कियाँ– यदि टूटी खिड़की छोटी है तो पूरी खिड़की या बचे हुये सभी टुकाड़ों को जॉच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाये। यदि खिड़की बड़ी है तो खिड़की के विभिन्न भागों से अनेक नमूने प्राप्त करें। टूटे किनारों या टूटी लाइनों, आरी के चिन्ह सतह की खरोचों या चिपकी वस्तुओं के भौतिक मिलान या तुलना हेतु यदि कॉच का नमूना काफी बड़ा हो तो पूरी टूटी खिड़की को ही बतौर नमूना प्राप्त करें।
- वाहन के शीशे वाहन के हेड लाइट्स– हेड लाइट्स के खोल में बची सभी कॉच के टुकड़े प्राप्त करें यदि यह संदेह हो कि नया शीश लगवाया गया तो नये शीशे को निकाल कर गाड़ी की जॉच की जाये क्यों कि हो सकता है कि खोल में पहले वाले शीशे के छोटे टुकड़े मौजूद हों जो टूटा है। ऐसी स्थिति में नये शीशे को जॉच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाये।
- अन्य शीशे– जब बोतलें या अन्य कॉच की वस्तुऐं टूटी होंतो बचे हुये सारे टुकड़े प्राप्त करें।
- मोटर वाहनों की हेड लाइट्स व टेल लाइट्स– किसी वाहन दुर्घटना की विवेचना के भाग के रूप में यह निर्धारण करना अतयन्त महत्वपूर्ण हो सकता है कि शीशा टूटने के समय हेड लाइट्स अथवा टेल लाइट जल रही थी अथवा नहीं।
- बत्ती के तन्तुओं (फिलामेन्टस) की बरामदगी का प्राथमिक महत्व है। ये काफी छोटे होते हैं तथा इनकी स्थिति की जॉच सावधानी पूर्वक करना चाहिये। यदि फिलामेन्टस गल जाये तो इसे कागज की पुड़िया या किसी छोटे गोलियों की डिब्बे में रख कर टेप लगाकर सील करना चाहिये। जहाँ बड़े तन्तु (फिलामेन्ट्स) प्राप्त हों वहाँ लैम्प साकेट के शेष भाग,

कॉच का आवरण, हेड लाइट बीम आदि को कागज में लपेट कर सुरक्षित कर प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजें।

- **Paint** (रंग) – नकबजनों द्वारा प्रयुक्त औजारों तथा अन्य प्रकार के मामलों में रंग संबंधी साक्ष्य हिट एन्ड रन मामलों में प्रयोग होता है।

हिट एण्ड रन मामले–

- पीड़ित पद यात्री के कपड़ों पर रंग स्थानतरित हो सकता है। सभी भागों का परीक्षण करें विशेष तौर पर वे भाग जो दबाव की चमक हों फटे हों या अन्य सम्पर्क के स्थान।
- यदि कपड़े पर रंग लगा हो तो इसे मिटायें नहीं। कपड़े को चिन्हित करें उसे मोड़ कर कागज में लपेटें तथा जॉच हेतु प्रयोगशाला भेजें।
- ऐसा रंग कम से कम उत्तरदायी कार के उक्त भाग के रंग को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे वर्तमान समय में कारों में एक से अधिक रंग प्रयोग होते हैं तथा स्थानान्तरित रंग से केवल यह निर्धारित किया जा सकता है कि कार का कौन भाग पीड़ित के सम्पर्क में आया।
- पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों पर स्थानान्तरित रंग परीक्षण से संदिग्ध वाहन के मेक व माडल की जानकारी हो पाना दुर्लभ होगा। क्यों कि ऐसे में वाहन के उपरी ऑक्सीडाइज्ड सतह का कुछ भाग ही स्थानान्तरित होता है। साथ ही, अनेक वाहनों की दोबारा रंगरोगन वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित रंग ढ़ंग से अलग कराया जाता है। वाहन स्वामी द्वारा प्रयुक्त रंग रोगन का रंग ढ़ंग किसी अन्य वाहन निर्माता द्वारा उसके वाहनों में प्रयुक्त रंग रोगन की तरह हो सकता है जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- कभी कभी रंग की पूरी कतरा (चिप) कपड़ों पर स्थानान्तरिता हो सकता है यदि इन कतरों में कई सतहें हो और वस्तुतः वे किसी पुर्नरंगित(रिपेन्टेड) कार की हो तो ऐसा साक्ष्य महत्वपूर्ण मूल्य का होगा। जब संदिग्ध कार की स्थिति का पता चल जाता है। कुछ मामलों में रंग के चिप्स घटनास्थल के आस पास भूमि पर भी मिल सकते हैं।
- संदिग्ध वाहन के उन सभी भागों से, जो ताजा टूटे फूटे दिख रहें हों मिलान हेतु नमूना प्राप्त करें। यह महत्वपूर्ण है कि रंग समान होते हुये

भी पेंट प्रकार में भिन्न या विभिन्न भागों में बनावट में भिन्न हों। यदि वाहन की धातु को मोड़ने झुकाने से रंग पपड़ी निकल सके तो इसी विधि से निकालें। यदि ऐसे रंग न निकले तो चिप्स निकालने के लिये साफ धातु का चाकू प्रयोग करें। प्रत्येक नमूना एकत्र करने से पूर्व धार को सावधानीपूर्वक धो लें। ऊपरी सतह से धातु तक रंग की प्रत्येक सतह नमूना हेतु प्राप्त करें तथा अलग–अलग डिब्बे में रखें।

- रंगरोगन का एक दूसरे पर स्थानान्तरण सामान्यतया दो या अधिक वाहनो के हिट ऐन्ड रन मामलों में होता है। यदि रंग के कतरे अबध्द मिले तो उन्हें छुड़ाने का प्रयास करें तथा कागज की पुड़िया में रखें। वैसे यदि स्थानान्तरित रंग वाहन की सतह पर मला या धब्बे के रूप में होता वाहन से रंग के कतरे या पपड़ी, स्थानान्तरित रंग के साथ –साथ कार को वास्तविक रंग की प्रथम परत सहित प्राप्त करें। विभिन्न भागों से प्राप्त स्थानान्तरित रंग को अलग–अलग कन्टेनर में रखें। नमूने सीधे लिफाफे में न रखकर पहले कागज की पुड़िया बना लें।
- जब एक वाहन से दूसरे पर रंग का स्थानान्तरण हो तो सदैव वाहन से एकत्र किये गये स्थानान्तरित से ठीक पहले सटे क्षेत्र का भी प्रदूषित नमूना प्राप्त करना चाहिये। प्रयोगशाला द्वारा वाहन पर वास्तविक मौजूद रंग तथा स्थानान्तरित रंग के मध्य अन्तर स्थापित करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

नकबजनी के मामलों में

- भवन, तिजोरियों या अन्य स्थानों में प्रवेश करने हेतु प्रयुक्त औंजारों पर प्राय: रंग के कण या लकीर सी साथ ही अन्य पदार्थ, तथा प्लास्टिक तिजोरी का इन्सुलेशन आदि लग जाते हैं। यह सावधानी रखें कि ऐसी लकीरें या कण नष्ट न हों। यदि ऐसे स्थानान्तरण मौजूद हैं तो औंजार को साफ कागज में पूरा लपेट कर टेप से सील कर उन्हें बचायें।
- घटनास्थल पर उन सभी क्षेत्रों से नमूने एकत्र किये जायें जहॉ औंजार रंग के सम्पर्क में आया है। इन नमूनों में रंग की सभी सतह हो। औंजार पर लगे रंग के चिन्ह नष्ट न होने पाये। यदि संभव हो तो चिन्ह लगे भाग को काट कर प्रयोगशाला भेजा जाये।

- उस औंजार पर भी रंग या अन्य कोई परत लगी हो सकती है जिसके निशान घटना स्थल पर छूट सकते हैं। ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक तलाश की जाये विशेष रूप में प्रत्येक औंजार के निशान के मामले में।

5. रंग के नमूनों को एकत्र करना तथा संरक्षित करना

- एकत्र किये सभी नमूनों को अलग –अलग कन्टेनर में रखें।
- अनेक रंग नमूने एकत्र करने एवं रखने हेतु कागज की छोटी पुड़िया प्रयोग की जा सकती है। एक संतोषजनक विधि यह है कि पुड़िया को वाहन भवन अथवा तिजोरी के उस स्थान के नीचे रखे जिस स्थान से नमूना एकत्र किया जाना है, एक हाथ से पुड़िया खोल कर पकड़े तथा दूसरे हाथ से एक साफ चाकू की धार से रंग की खुरचन/पपड़ी छुड़ा कर पुड़िया में रखें। पुड़िया के खुले सिरे को कई बार मोड़ें इसे किसी मुद्रित अथवा डाक लिफाफे में रखा जा सकता है तथा उसे चिन्हित व सील मुहर किया जा सकता है।
- शीशे की छोटी शीशियाँ या अन्य उपयुक्त डिब्बे केवल आखरी चरण में ही प्रयोग किये जायें।
- जब तक बड़े टुकड़े संलग्न न हों कभी भी रंग को सीधे लिफाफे में न रखें अधिकांश लिफाफे के चिपकाये भाग में कोने में दरार हो सकती है जिससे नमूना दूषित अथवा नष्ट हो सकता है।

6. ज्वलनशील द्रव–

- आगजनी के मामलों में ज्वलनशील द्रव की तलाश हेतु सम्पूर्ण आगजनी स्थल का भलीभाँति परीक्षण करें। जहाँ आग न लगी हो वहाँ भी देखें क्योंकि ज्वलनशील द्रव उन स्थानों पर रखे जा सकते हैं जहाँ प्रज्वलन न हुआ हो।
- आगजनी के मामलों में घटनास्थल पर मिले कनस्तरों पर ज्वलनशील द्रव के चिन्ह मिल सकते हैं। गलीचे, कम्बल, कमरे की आन्तरिक साज सज्जा पर्दे आदि, दीवार पर लगे बोर्ड तथा घटनास्थल पर अन्य वस्तुओं पर द्रव

पाया जा सकता है जिसे प्रयोग शाला में पहचाना व पृथक किया जा सकता है भले ही ये वस्तुयें आंशिक रूप से जली हों। लकड़ी जिसपर ऐसा द्रव उड़ेल कर जलाया गया हो पर भी ऐसे द्रव के पहचान योग्य चिन्ह हो सकते हैं यदि वह लकड़ी आग से पूर्णतः झुलस न गयी हो जहाँ विशाल एवं ऊष्मा युक्त आग लगी हो, फर्म की दरारों या बेस बोर्ड और चौखट में बहे द्रव के निशान के चिन्ह मैदान पर भी प्राप्त हो सकते हैं।

- सामान्यतया प्रयोग आने वाले ज्वलनशील द्रवों में विशिष्ट गंध होती है जबकि सामान्यतया उपलब्ध कुछ पदार्थे में कोई महक नहीं होती है और उनकी पहचान अत्यन्त कठिन होती है। इनमें कुछ अल्कोहल, निर्गन्धित करोसिन, तारकोल, लाइटर द्रव आदि आते हैं।
- यदि किसी खुले पीपा में कोई उड़नशील द्रव मिले तो थोड़ी मात्रा में पदार्थ को कॉच की साफ शीशी में भरक एयरटाइट सील करें जिससे पदार्थ की क्षति न हो। प्लास्टिक का पीपा या रबर का ढक्कन प्रयोग न करे।
- मृदा, लकड़ी कपड़ों कागज आदि के छोटे नमूनों को धातु के छोटे व साफ डिब्बे में रखकर तत्काल सील करना चाहिये ताकि उनपर उपस्थित अतिरिक्त उड़नशील पदार्थ को वास्पीकरण से बचाया जा सके।
- लकड़ी पर्दे, दरी गलीचे, बालबोर्ड तथा अन्य प्रदर्शों के बड़े टुकड़े जो कैन में न आ सके उन्हें हीट शील्ड का पैक प्लास्टिक में रखा जाये। सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक कम के प्लास्टिक नमूने की जाँच प्रयोगशाला द्वारा प्रयोग करने से पूर्व कर ली गई है।
- जब उन प्रदर्शों को चिन्हित किया जा सकता हो, तो अवश्य करें। सभी मामलों में पैकेज या कन्टेनर को चिन्हित किया जाये।
- ज्वलनशील द्रव के नमूने जो सामान्यतया आगजनी के मौके पर मौजूद होते हैं, को अंशतः जली वस्तुओं से प्राप्त पदार्थ से मिलान हेतु भेजना चाहिए।
- किसी संदिग्ध के कब्जे से प्राप्त ज्वलनशील द्रव के नमूने को मिलान हेतु भेजना चाहिए। इसमें कोई वस्त्र, टुकड़े या अन्य पदार्थ जिसपर संदिग्ध धब्बा या महक हो सकती है। इन्हें आगजनी के मामलों में बरमद अन्य वस्तुओं की तरह ही पैक करना चाहिए।

- अनेक मामलों में यह सम्भव है कि विभिन्न अंशतः जले पदार्थों से ज्वलनशील द्रव को अलग किया जा सकता है। तथा गैस को मैट्रोग्राफिक विश्लेषण तथा अन्य अध्ययनों से यह निर्धारण हो सकता है कि वह द्रव किस प्रकार का है। वैसे, सामान्यतया उस वस्तु के निर्माता या ब्रान्ड नाम का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

7. आग्नेयास्त्र संबंधी साक्ष्य

आग्नेयास्त्र

- कभी भरी बन्दूक को प्रयोगशाला न भेजा जाय यदि भेजें तो किसी व्यक्ति द्वारा ही भेजें। किसी हथियार की मैगजीन में यदि कारट्रिज (गोलियाँ) छूट गई हो तो मैगजीन को गन से निकाल लें। किसी आग्नेयास्त्र के चैम्बर में यदि गोली हो तो किसी भी दशा में उसका परिवहन न किया जाये भरे ही हथियार कॉक न हो या संरक्षित हो।
- भेजने से पूर्व आग्नेयास्त्र के बोर, चैंबर या सिलिन्डर की सफाई न करें, और ना ही कभी परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने से पूर्व गन को फायर करने का प्रयास करें।
- नाल के अन्तिम सिरे में पेंसिल या कोई अन्य वस्तु लगाकर हथियार को कभी न उठायें।
- हथियार की कम संख्या:मेक, माडल तथा कैलिबर को रिकार्ड करें तथा इसे कुछ अस्पष्ट तरीके से चिन्हित करें जिससे प्रयोगशाला भेजने से पूर्व इसके मूल्य से घटाया न जा सके। आग्नेयास्त्र को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है क्योकि यदा कदा सामान्य मेंक व सामान्य प्रकार का विभिन्न बन्दूकों पर डुप्लीकेट सिरियल नम्बर मिलते हैं। माडल नम्बरों या पेटेन्ट नम्बरों के साथ कम संख्या पर भ्रमित न हों। मजबूत कार्डबोर्ड या लकड़ी के बाक्स में हथियार को रख ढ़ंग से पैक करें तथा आवागमन में बन्दूके को शिफि्टंग से बचाया जा सके।
- रायफल या शाट गन्स को पृथक कर लें।

- यदि रक्त या अन्य कोई पदार्थ जिसका तफतीस से वास्ता हो, बन्दूक पर मौजूद हो तो साफ कागज में गन को लपेट कर टेप लगाकर सील करें ताकि परिवहन के दौरान बन्दूक का संचलन और नमूने को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।
- यदि बन्दूक का परीक्षण गुप्त अंगुलि चिन्हों के लिये किया जाता है तो इस मैनुअल में उक्त हेतु दिये गये कार्य विधि का पालन करें।

गोलियां –

- बुलेट को कभी चिन्हित न करें ।
- बरामद गोलियों को कागज में लपेटें और लिफाफे अथवा छोटी डिब्बी में सील करें ।
- साक्ष्य हेतु बरामद सभी गोलियों को प्रयोगशाला भेजा जाये। बरामदशुदा अनेक गोलियों में से किसी एक गोली की निर्णायक पहचान संभव है जबकि सभी अच्छी हालत में दिख रही हों।
- प्रयोगशाला भेजने से पूर्व बरामदशुदा गोलियों को साफ करने का प्रयास न करें। किसी शरीर से प्राप्त गोली को हवा में सुखाकर कागज में लपेटा जायै। धोने से गोली पर के खरोंच या लकीर के साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं।
- खोखा कारतूस –
- बरामद खोखा कारतूसों को कागज में लपेटें और अलग–अलग लेबल लगे छोटे डिब्बे या लिफाफे मैं सील करें।
- शाटगन के दगे हुये खोखा के कागज के अन्दरुनी या बाहरी भाग अथवा खोखे के प्लास्टिक भाग पर चिन्हीकरण किया जा सकता है।
- किसी शॉटशेल या खोखा कारतूस को किसी विशिष्ट हथियार से फायर किया गया था, ऐसा निर्धारण करने हेतु कोई परीक्षण वांक्षित हो तो उस हथियार व बरामदशुदा बिना दागा गया सभी गोला बारुद भेजा जाये।
- साक्ष्य हेतु बरामद सभी खोखा कारतूस या शॉटगन के खोल प्रयोगशाला भेजें ।
- अन्य खोखा कारतूसों के सम्पर्क में आने से ब्रीच क्लॉक, फायरिंग पिन तथा अन्य चिन्हों को नष्ट होने से बचाने हेतु प्रत्येक कारतूस को कागज

में लपेटें । लपेटे गये खोखा कारतूसों को लिफाफों या छोटी डिब्बियों में रखें।डिब्बे को लेबल लगाकर सील करें।

गोला बारुद–

- जब आग्नेयास्त्र साक्ष्य हेतु प्राप्त किये जायें, मिलान हेतु अप्रयुक्त गोला बारूद की बरामदगी का सदैव प्रयास करें। यदि स्वंय वह हथियार न मिले तो प्रायः अतिरिक्त गोला बारूद उनकी कारों कपड़ों मकानों या अन्य स्थानों पर प्राप्त हो सकता है। अपराध में प्रयुक्त गोला बारूद की बनावट प्रकार और आयु के ठीक प्रतिरूप परीक्षण हेतु महत्वपूर्ण हो सकते हैं अन्य गोला बारूद जो संदिग्ध के कब्जे से प्राप हो अपराध में प्रयोग के ठीक समरूप हो सकता है।
- बिना दगे गोला बारूद को मार्क न किया जाये। बाक्स में रखे सभी राउन्ड चिन्हित किये बिना गोला बारूद के बाक्स को मार्क किया जाये।

पाउडर एवं शॉट पैटर्न–

- कपड़े या अन्य वस्तुऐं जिनपर बारूद के अवशेष या गन शॉट से बने छेद का साक्ष्य दिखे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजें। वस्त्र को सावधानीपूर्वक साफ कागज में लपेटा जाये तथा यथा सम्भव छोटे से छोटा मोड़ा जाये ताकि जमा पाउडर के काम बचाया जा सके। नमूने की फोटोग्राफी प्रयाप्त नहीं होगी क्योंकि अधिकांश घटनाओं में सूक्ष्मदर्शी परीक्षण और रासायनिक जॉच आवश्यक है। प्रत्येक वस्तु को अलग–अलग पैक किया जाये।
- बारूद शॉट पैटर्न की जॉच की सार्थकता के लिये आवश्यक है कि अपराध स्तर पर प्रयुक्त गोला बारूद के मेक टाइप व आयु का प्रतिरूप प्राप्त हो। यह प्रतिरूप प्रश्नगत हथियार से फायरिंग करके यह निर्धारित करने हेतु आवश्यक है कि प्रश्नगत गोली के फायर करते समय मजल से, पिड़ित व्यक्ति की दूरी कितनी थी।

गन शॉट अवशेष–

- गन शॉट अवशेष अत्यन्त क्षणभंगुर साक्ष्य होता है इसे शीघ्रताशीघ्र एकत्र करना चाहिये लगभग तीन घंटे के अन्दर। प्रयोगशाला द्वारा आवंटित किट का प्रयोग करें और निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। जीव विषयक मामलों में यदि 6 घंटे से अधिक गुजर चुके हों या यदि जातक द्वारा अपने हाथ घो साफ कर लिये गये हों, किसी अर्थपूर्ण परिणाम की अपेक्षा न करें यदि किसी शरीर का नमूना मिले तो जहॉं तक सम्भव हो शरीर के हटने से पूर्व ही गन शॉंट अवशेष एकत्र करना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो हाथेां को कागज से थैलों से सुरक्षित करें।
- कम संख्या को पूर्व स्थिति में लाना–
- अनेक मामलों में लुप्त कम संख्या को वापस पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है यदि नम्बर मिटाने में बहुत अधिक धातु न निकली हो।
- कम संख्या की बहाली कर बन्दूक पर अंकन हेतु विधिविभाग से सलाह अवश्य लें। यदि वास्तविक संख्या बहाल हो सके तो सामान्यतः यह बन्दूक पर पुनः अंकित किया जाता है। यदि ये बहाल न हो सके तो गन को नया नम्बर स्टेशन या विधि विभाग द्वारा प्रदान कर अंकित किया जायेगा।

8. टूल मार्क्स, औंजार उपकरणों के चिन्ह–

- औंजार के निशानात नकबजनी के मामलों में बहुतायत से मिलते हैं परन्तु अन्य प्रकार के अपराधों के मौंको पर भी मिल सकते हैं। यह साक्ष्य घटनास्थल पर औंजारों द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव छोड़ने से बनते हैं तथा संदिग्ध के कब्जे से विभिन्न प्रकार के औंजार मिल सकते हैं। अन्य मामलों में भौतिक तथा अन्य तुलनात्मक अध्यनों से यह सिद्व किया जा सकता है कि घटना स्थल पर छूटे औंजार के टुक्ड़े संदिग्ध के कब्जे से प्राप्त क्षतिग्रस्त औजार से ही छूटे थे। अनेक मामलों में प्रयोगशाला में औंजार व निशान लगी वस्तु के मिलान से उस विशेष औंजार जिससे प्रश्नगत चिन्ह बना है की पहचान सम्भव है। कुछ मामलों में औंजार पर आये विभिन्न प्रकार के चिन्ह घटना स्थल पर सम्पर्क में आयी वस्तु के हैं सिद्व किया जा सकता है।

औंजारों की पैकेजिंग एवं संरक्षण–

- बरामद शुदा औंजार जिस पर रंग या भवन निर्माण सामग्री स्थानान्तरित की हो या अन्य कोई प्रदूषण लगा हो के सम्पूर्ण भाग को कागज से लपेटना चाहिये ताकि अन्य किसी वस्तु अथवा सतहे के सम्पर्क में आने से सूक्ष्म धार या तीखे किनारे को बचाया जा सके।

औंजार के साथ कोई परीक्षण न करें-

- प्रयोगशाला में परीक्षण से पूर्व प्रश्नगत चिन्ह में औंजार को फिट करने या टेस्ट मार्क बनाने का प्रयास नहीं करनी चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रश्नगत चिन्ह या औंजार बदल सकते हैं जो किसी प्रयोगशाला परीक्षण को मूल्यहीन कर सकते हैं। साथ ही स्थानान्तरित रंग की लकीरे या औंजार पर लगे अन्य धब्बे नष्ट हो सकते हैं या आ।जार पर अतिरिक्त पदार्थ स्थानान्तरित हो सकता है।

औंजार के चिन्हों का संरक्षण-

- जहॉंतक सम्भव हो औंजार के चिन्हयुक्त पूरी वस्तु प्रयोगशाला भेजा जाये यदि ऐसा सम्भव न हो तो चिन्ह युक्त स्थान को सावधानीपूर्वक स्कैच अथवा फोटाग्राफी करें। यद्यपि यह फोटोग्राफ प्रयोगशाला को औंजार से चिन्ह का मिलान करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा यह प्रयोगशाला को चिन्ह कैसे बना यह निर्धारण करने में सहायक होगा जिससे टेस्ट मार्क आसानी से बनाये जा सकते हैं।
- औंजार के चिन्ह की काष्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनायी जा सकती है जिसे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव हो। खराब ढलाई मिलान के उद्देश्य से व्यर्थ होती है तथा गलत तरीके से प्रयोग करने से कुछ चिन्ह नष्ट हो सकते हैं।
- औंजार के चिच्ह युक्त वस्तु को पैक करें ताकि परिवहन के दौरान कोई नुकसान न होने पाये। छोटी वस्तुओ को साफ कागज में लपेट कर लिफाफे अथवा बाक्स में रखें जबकि बड़ी वस्तुओं के महत्वपूर्ण भाग को कागज में लपेट करे सुरक्षित किया जा सकता है। यदि वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा न भेजा जा रहा हो तो सम्पूर्ण बड़ी वस्तु को कार्टन अथव केट में पैक किया जा सकता है।

9. नियंत्रित पदार्थ एवं औषधीय निर्माण का विश्लेषण–

- प्रयोगशाला में मैरीजुआना तथा अन्य औषधी निर्माण का विश्लेषण किया जाता है जो किसी अपराधिक मामलें से जुड़ा हो या उस विषय के कब्जे में हो जो अनेक अपराधें। में शामिल हो सकता है। बरामद वस्तु के प्रत्येक नमूने को कागज के डब्बे में रखना चाहिये जिसे सील व चिन्हित किया जा सकता है। खुले पदार्थों तथा मैरिजुआना जो बिखर या बह सकता है के सील करते समय सुनिश्चित करें की सील सही है। पी.सी.पी. जैसी कुछ दवाओं को हीट सील्ड थैलों में पैक करना चाहिये।
- नुस्खे के डब्बे या बोतल में जो औषधीय निर्माण मिले उसे उसी बरतन में पड़ा रहने दें तथा सील कर चिन्हित करदें। नुस्खे की चिप्पी से प्राप्त जानकारी प्रयोगशाला को सहायक हो सकती है। रासायनिक परीक्षणों के माध्यम से अधिकांश नियंत्रित पदार्थों तथा सामान्य औषधियों की पहचान की जा सकती है।
- अनेक गोलियों, टिकिया तथा अन्य औषधीय निर्माणों का विश्लेषण एवम् परीक्षण अत्यन्त कठिन हे जब तक कि परीक्षण हेतु भारी मात्रा में उपलब्ध न हों या उनमें पाए जाने वाले सामान्य प्रकार के पदार्थ के बारे में कोई शूत्र मौजूद न हो। ऐसे सभी मामलों में जहाँ नुसखे शामिल हों तथा वह दवा भण्डार तथा नुस्खा नंबर ज्ञात हो, संभावित डिब्बे के लेबल पर दवा भण्डार का नाम होने पर ही संतुष्ट हों इस सूचना से प्रयोगशाला प्राय: यह निर्धारण करने योग्य हो जायेगी कि डिब्बे में रखी वस्तु वहीं है जो वर्णन किया गया है अथवा नहीं।
- प्रयोगशाला सामान्यतया आपराधिक विवेचना में मिलने वाले सभी औषधीय निर्माणों की पहचान का प्रयास नहीं करती है जबकि नियंत्रित पदार्थों की पहचान रोजमर्रा के मामलों में हो सकती है इसके विरूध्द जबतक विशेष निर्देश प्राप्त न हों, ऐसे पदार्थों का परीक्षण व्यवाहारत: जब उसे कब्जे में रखने से कानून का उल्लंघन होता हो या सामान्य तैयारी हेतु ही किया जाता है।

- इस प्रकृति के सभी साक्ष्यों को सीलबन्द बन्डल में प्रयोगशाला लाया जाये।

10. प्रश्नगत अभिलेख– **(QUESTIONED DOCUMENT)**

प्रश्नगत अभिलेख को भेजा जाना–

- किसी खास विवेचना में शामिल सभी प्रश्नगत अभिलेखों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजना चाहिये। यह महत्वपूर्ण है क्यों कि प्रश्नगत अभिलेख की पहचान समानता, असमानता के साथ ही अपसरण की गैरमौजूदगी से होता है। पहचान निर्धारण के कम में, पर्याप्त हस्तलेख, टाइपराइटिंग, या अन्य साक्ष्य अवश्य उपलब्ध हों जिनके आधार पर कोई राय कायम की जा सके। इसका अर्थ है कि सभी प्रश्नगत सामग्री भेजी जाये साथ ही साथ पर्याप्त उदाहरण या साथ नमूने भेजे जायें।

उदाहरणार्थ उद्धरणः–

- यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत अभिलेख से मिलान या तुलना हेतु पर्याप्त मात्रा में हस्तलेख के नमूने (उदाहरण) हों । संदिग्ध के डाईवर के लाइसेंस पर एक या दो हस्ताक्षर या अधिकांश मामलों में एक डाफ्ट कार्ड ऐसी पर्याप्त व्यक्तिगत खुबियाँ नहीं रखते जिनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। कुछ मामलों में ऐसे परीक्षण से शक को मजबूती मिलती है और इसे विवेचनात्मक बढ़त मानना चाहिये इसके सहारे के लिये यह आवश्यक है अतिरिक्त मानदण्डों को प्राप्त कर परीक्षण किया जाये।
- एकत्रित नमूने जो व्यापारिक लेनदेन में किऐ गये हों तथा रसीदें, प्रतिज्ञा पत्र (प्रोमिसरी नोटिस) साख तथा नियुक्ति प्रा. पत्र, पत्र बुकिंग कार्ड तथा हस्तलेख कार्ड हस्ताक्षर, लिखावटें हैं, जो अधिकांश मामलों में व्यक्ति की सबसे सामान्य लिखावट का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत से मामलों में

यह अर्थपूर्ण है कि प्रश्नगत अभिलेख की तरह यह लेख समान तिथि को हों यह महत्वपूर्ण है कि किसी संदिग्ध के प्रथम साक्षात्कार में प्राप्त किये जायें संदिग्ध अन्य तारीख पर असहयोगी हो सकता है।

- जब अनुरोध उध्दरण प्राप्त किये जा रहें हों तो यह शर्त है कि यथा सम्भव यथा निकट उनकी नकल प्रतिरूप प्रश्नगत अभिलेख को बनाते समय प्राप्त कर लेना याहिए। यदि प्रश्नगत अभिलेख के निर्माण में पीली रेखायुक्त कागज तथा नीली स्याही का प्रयोग किया गया हो तो वैसा ही या उसी सदृश्य रंग तथा कागज का प्रकार तथा उपकरण प्रयोग करना चाहिये। यदि संदिग्ध अभिलेख एक धमकी पत्र है और नोट या तो हस्तलिखित या बडे़ आकार में हो, लेखक से उसी तरीके हेतु अनुरोध करें। व्यक्तियों से उनका नाम तथा पते अनेक बार तथा संक्षिप्त व्यक्तिगत इतिहास लिखवाया जाये। इसे हटा कर कागज की दूसरी सीट प्रस्तुत करें। बोलकर ठीक सही शब्द व अंक लिखवायें जो प्रश्नगत अभिलेख में उपस्थित हों।
- ऐसे कम से कम बारह बार करें, जैसे ही नमूना तैयार हो उसे लेखक की निगाह से हटा दें। यदि यह एक चेक संबंधी मामला है, सादे चेक या कागज की स्लिप पर ठीक उसी/उर्पयुक्त आकार का नमूना प्राप्त किया जाय। किसी विशिष्ट मामलें में पहचान हेतु आवश्यक नमूनों की संख्या का निर्धारण नही हो सकता, अतएव प्रत्येक प्रश्नगत अभिलेख के लिये कम से कम हो सकता, अतएव प्रत्येक प्रश्नगत अभिलेख के लिये कम से कम बारह नमूने प्राप्त किऐ जायें।
- जब टाइपलिखित उध्दरण प्राप्त करना हो तो संदिग्ध मशीन पर हल्का, मध्यम तथा भारी स्पर्श देकर प्रश्नगत अभिलेख की अनेक प्रतियाँ तैयार की जानी चाहिये। कम से कम एक प्रति मशीन से रिबन हटाकर बनानी चाहिए या रिबन स्टेंसिल पर सेट कर, तथा नमूने के लिये प्रयुक्त कागज के उपर से नया कार्बन शीट घुसाकर चाभियों को सीधा मारें यह मशीन के टाइप फेस को सुस्पष्ट दध्दहरण देता है जो टाइप कैरेक्टर की विकृति प्रदर्शित करता है। सदैव प्रश्नगत अभिलेख के सदृश्य प्रकार व रंग का कागज उध्दरण टाइप करने हेतु प्रयोग करें।

प्रश्नगत अभिलेखों का संरक्षण–

- किसी भी दशा में या तो प्रश्नगत अभिलेख या उद्दरण मे चिन्हिकरण निरूपण या बदलाव न किया जाये । नया मोड़ न बनाया जाये ना ही ऐसी सामग्री पर चिन्ह या नोट लगाये जाये। पहचान के उद्देश्य से व्यक्तिगत चिन्ह यथा संभव छोटे से छोटा अभिलेख के पीछे अथवा उस क्षेत्र में बनाया जाय जहाँ हस्तलेख या टाइपलेख उपस्थित न हो।
- जहाॅतक संभव हो, सभी अभिलेखों को सेलोकेन या प्लास्टिक के लिफाफे में रखकर सुरक्षित किया जाय।

साक्ष्य का परिवहन–

- प्रश्नगत अभिलेख को व्यक्तिगत रूप से भेजा जा सकता है या प्रयोगशाला के द्वार पर रखे पूर्व उल्लिखित लाकर में छोड़ दिया जाय।
- ऐसा साक्ष्य प्रयोगशाला में प्रमाणित या पंजीकृत डाक द्वारा भेजें। यदि वस्तु अधिक मात्रा मं हो तो किसी अनय तरीके से भेजा जा सकता है, परन्तु मैकेट को सदैव सील अवश्य होना चाहिए

गले अभिलेख–

- जहाँ गले पेपर का परीक्षण या गूढ़ लिपि का आशय निकालना हो, जली वस्तु को टुकड़ों में टूटने या टूट कर अलग होने से बचाने के लिए बहुत सावधानी बसनी चाहिये। सामान्यतया इसे किसी बक्स में लूज कपड़े पर रखकर किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला भेजा जाये। इसे कैसे पैक किया गया यह कोई नियम नहीं है, डाक द्वारा परिवहन के प्रयास से ऐसी वस्तु क्षतिग्रस्त हो सकती है।

अन्य प्रश्नगत अभिलेखीय साक्ष्य–

- हस्तलेख और टाइप राइटिंग मिलान तथा जले अभिलेख की गूढ़ लिपि का आशय जानके के अतिरिक्त, अन्य वस्तु से संबंधित परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किये जाते है। इनमें शामिल, परन्तु सीमित नहीं, है,
- बदलावयुक्त, विलोपित या मिटाये गये लेखो की पुर्णस्थापना या गूढ़ लिपि का आशय निकालना
- प्रश्नगत प्रिन्टिंग का मिलान चेक प्रोटेक्टर तथा रबर स्टैम्प से करने हेतु

- उभरी नक्काशी युक्त या दॉंतेदार लेख या टाइपिंग की पहचान
- कागज तथा व्यापारिक रूप से छाया गया विषय जैसे- चेक, कूपन रसीदें तथा अन्य के मिलान हेतु
- विभिन्न प्रकार के कटे या फटे कागज का भौतिक मिलान
- स्याही संबंधी समस्याऐं।

12. गुप्त/छपे हुए अंगुलिचिन्ह-

गुप्त अंगुलि चिन्ह साक्ष्य का चिन्हीकरण-

- इस प्रकार के सभी सबूतों का चिन्हीकरण विशिष्ट प्रकार से करना चाहिए जैसे कि किसी अन्य प्रकार के भौतिक साक्ष्य के मामले में गुप्त अंगुलि चिन्हों को चिन्हित करते समय सावधानी बरतना चाहिए ताकि इन्हें क्षतिग्रस्त या नष्ट होने से बचाया जा सके।
- उठाये गये, विकसित गुप्त अंगुलिचिन्ह का चिन्हीकरण या मुद्रीकरण चिन्हित लिफाफे में करना चाहिए।
- विकसित गुप्त अंगुलि चिन्हों का पैमाना व चिन्ह की पहचान सहित व रहित दोनों तरह से फोटोग्राफी कराना चाहिए।

अंगुलिचिन्ह को संरक्षित करना-

- प्राथमिक सावधानी, सभी मामलों में यह है कि मौजूद अंगुलिन्हिों के अतिरिक्त अंगुलिचिन्हों की वृध्दि या नष्ट होने बचाना है।
- भेजे गये अधिकांश कागज, कॉंच धातु या अन्य चिकने सतह वाली वस्तुओं पर होंगे। जब लेटेन्ट्स हों अवश्य उठायें, यथसंभव कम से कम छुऐं और फिर केवल वह क्षेत्र जहॉं पहचान योग्य गुप्त अंगुलि चिन्ह हो, यथा खुरदरी सतह।
- जब दस्ताने या रूमाल का प्रयोग प्रदर्श उठाने के लिए किया जा सके, किसी अनावश्यक सम्पर्क से बचाया जाये। यद्यपि प्रदर्श उठाने के लिए कपड़े के प्रयोग से वस्त्र पर अतिरिक्त चिन्ह पड़ने से बचत होती है,

लेकिन जब तक अत्यन्त सावधानी न बरती जाये कपड़े से वस्त्र पर उपस्थित वास्तविक चिन्ह मिट या बिगड़ सकते हैं।

- वड़ी वस्तुऐं जिनपर गुप्त अंगुलिचिन्ह हों जैसे, काँच धातु की वस्तुऐं, तथा आग्नेयास्त्र को लकड़ी या कार्ड बोर्ड पर रखकर रस्सी से कसकर बाँधना चाहिये ताकि परिवहन के दौरान हिलने डुलने या अन्य वस्तुओं के सम्पर्क में आने से बचाया जा सके। जहाँ ऐसे परीक्षण बँहुदा होते हों एक में आने से बचाया जा सके। जहाँ ऐसे परीक्षण बहुधा होते हों, एक पेगबोर्ड प्राप्त किया जाय जिसमें लकड़ी की खूटिँयाँ प्रदर्श के सहारे के लिये इच्छानुसार चलाई जा सकें तथा उसे हिलने डुलने से बचाया जा से। बोतलें और गिलासों को एक बोर्ड पर लम्बवत रखकर तथा उसे किसी बॉक्स की तली में रखा जा सकता है। बोतल या गिलास का आधार को उसकी जगह पर बनाये रखने के लिए कांटा से घेरा जा सकता है तथा उसके ऊपरी भाग को किसी कार्ड बोर्ड के टुकड़े में छेद बनाकर घुसाया जा सकता है या ऐसी स्थिति में रखकर डब्बे के मुख पर लकड़ी के बोर्ड को कांटो से जड़ दिया जाय।
- कागज या अभिलेख जिनपर मुप्त अंगुलिचिन्ह हों को व्यक्तिगत रूप से सेलोफेन या मनिला लिफाफे में रख जाये। कार्ड बोर्ड के दो टुकड़े के बीच वह डिब्बा दबाकर लपेंटे तथा एक बाक्स में रखकर भेजा जाये।

तन्तु एवम् धागे–

- यह साक्ष्य प्रायः कपडो की रगढ़ पर या फटी वस्तुओं में पकड़ में आता है या वाहों के हिट ऐन्ट मामलों में अन्य क्षेत्रों में मिलता है। कुछ सेधमारी के मामलों में, फटी स्कीनों, टूटे कॉच या अन्य स्थितियों में प्राप्त होते हैं।
- तन्तुओं का परीक्षण सामान्यतः तन्तु के रंग या प्रकार के निर्धारण हेतु किया जा सकता है। ऐसे परीक्षण कभी-2 परिधान के प्रकार या कपड़ा, जहाँ से उनका उद्‌गम है, की तरफ इंगित करेंगे।
- संदिग्ध वस्त्र से तन्तु एवम् धागों का मिलान किया जा सकता है, यह निर्धारण करने हेतु कि वे उसी वस्त्र से प्राप्त हैं अथवा नहीं।

- यदि धागे या लम्बे तन्तु मिलें उन्हें प्राय: उंगलियों से उठाकर कागज की पुड़िया में रखा जा सकता है, फिर एक मुद्रित लिफाफे में , जिसे सील व चिन्हित किया जा सकता हे। खुले तन्तुओं को सीधे डाक वाले लिफाफे में न रखें क्यों कि इस प्रकार के लिफाफों में वे नष्ट/खो सकते हैं।
- यदि तन्तु छोटे या संख्या में कम हैं और यदि ऐसा कर पाना सम्भव हो तो वह क्षेत्र या सम्पूर्ण वस्तु जिसमें तन्तु हों को कागज में लपेटें तथा पूर्ण प्रदर्श को प्रयोगशाला में भेजें।
- केवल यदि आपके अधिकार क्षेत्र की प्रयोगशाला आज्ञा दे तथा आपको इसकी आवश्यकता बताये तो तन्तुओं को टेप पर उठायें। यदि धागे या तन्तु बरामद हों तो व्यक्ति के सभी वस्त्र जिनसे संभवत: उनका उद्गम हा को मिलान के उद्देश्य से प्रयोगशल भेजें।
- यौन अपराधेंा, दुर्व्यवहार या कुछ अन्य मामलों में दो व्यक्तियों के मध्य या एक अन्य व्यक्ति तथा कुछ अन्य वस्तुओं के मध्य हुए सम्पर्क को तन्तुओं के मिलान द्वारा इंगित करना या प्रर्दशित करना सम्भव हो सकता है। जैसे कार की सीट/ इस परीक्षण की तभी कोई मूल्य है जब यह ज्ञात हो जाय कि अपराध से पूर्व या बाद में दो व्यक्तियों या एक व्यक्ति और कुछ अन्य वस्तु के बीच कोई सम्पर्क नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के कपड़ों की प्रत्येक वस्तु या अन्य वस्तु को अलग-2 रखते समय अतिरिक्त सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। प्रत्येक वस्त्र को कागज की साफ सीट पर फैलाना चाहिए तथा प्रदर्श को चिन्हित करने के पश्चात अलग-अलग कागज में लपेटना चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति का वस्त्र दूसरे के वस्त्र को छूता है, या यदि यह मेज पर फैलाया है या कार की सीट पर रखा हे तथा अन्य संदिग्ध के वस्त्रों के सम्पर्क में है तो मिलान अर्थहीन हो सकता है।